राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

आदेश

जैसा कि श्री सुमित कुमार, सुपुत्र श्री भीम सेन, पंजाबी मोहल्ला, निवासी वार्ड नं0 09, नगरपरिषद– नूंह, जिला नूंह मेवात ने वर्ष 2022 में नगरपरिषद नूंह के आम चुनावों में वार्ड नं0 13 से पार्षद पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें वह निर्वाचित घोषित हुआ। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13H में दिये गये प्रावधान अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर–अन्दर अपना चुनाव खर्चा रजिस्ट्र उपायुक्त, नूंह के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। धारा 13H में दिये गये प्रावधान निम्न प्रकार से है:–

> "Every contesting candidate or his election agent shall, lodge account of election expenditure within thirty days from the date of declaration of election result with the Deputy Commissioner or an officer authorized by the State Election Commission. The Deputy Commissioner or such officer shall, send a list of those candidates who contested by fail to lodge the account of election expenditure or made expenditure beyond the limit prescribed by the State Election declaration of election result. The State Election Commission shall accordingly pass an order of their disqualification under section 13 F".

2. जैसा कि चुनाव खर्च रजिस्ट्र समय पर जमा न करवाने पर उपायुक्त, नूंह द्वारा श्री सुमित कुमार को अपने आदेश क्रमांक

2093-99/एल0एफ0ए0 दिनांक 10.04.2024 अनुसार हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13एफ के तहत पांच वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया गया। तदनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा अपने कार्यालय आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2024/714, दिनांक 05.06.2024 अनुसार श्री सुमित कुमार सुपुत्र श्री भीम सेन, पंजाबी मोहल्ला, निवासी वार्ड नं0 09, नूंह, जिला नूंह को अयोग्य ठहराने बारे अधिसूचना हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 05.06.2024 को अधिसूचित करवा दिया गया।

3. जैसा कि श्री सुमित कुमार, वार्ड नं0 09, नगरपरिषद नूंह ने दिनांक 01.07.2024 को निजी सुनवाई के लिये मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने बाद उसने अपना खर्चा रजिस्ट्र उपायुक्त, नूंह के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था परन्तु उस समय उसे कोई रसीद नहीं दी गई। उसने दिनांक 26.07.2022 को चुनाव खर्च रजिस्ट्र उपायुक्त कार्यालय, नूंह में जमा करवा दिया था तथा उसका चुनावी खर्च तय चुनाव खर्च सीमा से कम है। इस सम्बन्ध में सबूत के तौर पर सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये, अपीलार्थी श्री सुमित कुमार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये यह भी अनुरोध किया कि उसकी अयोग्यता के आदेश को रद्द करने का कष्ट करें ताकि वह एक निर्वाचित सदस्य होने के नाते जनता की सेवा कर सके तथा भविष्य में जब भी किसी सरकारी कार्यालय में कोई दस्तावेज जमा करवायेगा तो उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करेगा तथा सभी आदेशों की पालना सुनिश्चित करेगा।

4. मैने अपीलार्थी श्री सुमित कुमार को भली भांति सुन लिया है और उसके द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन भी कर लिया है। इन सब परिस्थिति-जन्य स्थिति के दृष्टिगत मैं मामले पर

सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उपायुक्त, नूंह द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2093–99/एल0एफ0ए0 दिनांक 10.04.2024 और राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा पारित आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/ 3एम0ई0/2024/714, दिनांक 05.06.2024 के तहत श्री सुमित कुमार, सुपुत्र श्री भीम सेन, पार्षद, वार्ड नं0 13, नूंह जिला– नूंह को पांच वर्षो के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था, उन आदेशो को निरस्त करता हूं तथा आदेश करता हूं कि श्री सुमित कुमार का नाम अयोग्य किये गये प्रत्याशियों की सूची से हटा दिया जाये।

5. मैं उक्त आदेशों को नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 13एफ के तहत हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने का भी आदेश पारित करता हूं।

स्थानः पंचकूला
दिनांक 10 अगस्त 2024

धनपत सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

क्रमांक रा0नि0आ0/3एम0ई0/2024/801–06 दिनांक 11.07.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, नूंह।
4. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद नूंह ।
5. श्री सुमित कुमार, सुपुत्र श्री भीम सेन, पंजाबी मोहल्ला, निवासी वार्ड नं0 09, नगरपरिषद नूंह।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, पचंकूला को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
पंचकूला। 11/7/2024